नवाचार की ओर बजट के कदम

रहीस सिंह

2016-17 के वित्त वर्ष के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया बजट उन जरूरतों पर बल देता हुआ दिखाई दे रहा है जो नवाचार के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी व समावेशी प्रक्रिया को प्रोत्साहन दे सकती हैं। फिलहाल अब 'रन ऑफ द मिल' यानी बने बनाए ढर्रे पर चलने का वक्त खत्म हो चुका है इसलिए अब बिना नवोन्मेषी बने स्थाई और श्रेष्ठ सफलताएं हासिल करना बेहद मुश्किल है। और राज्य व सरकार हर स्तर पर रास्ता नहीं बना सकती, इसलिए अब जरूरत है अच्छी नीतियों और प्रोत्साहनों की, जो 2016-17 के बजट में काफी हद तक प्रतिध्वनित हो रहे हैं

कुछ समय पहले बिल गेट्स ने कहा था कि पैदाइशी किस्मत बदल चुकी है-जिस तरह भूगोल और प्रतिभा का पूरा संबंध बदल चुका है। तीस साल पहले अगर आपके पास विकल्प होता कि आप बॉम्बे या शंघाई के किसी उपनगरीय क्षेत्र में एक जीनियस के रूप में पैदा होते या फिर अमेरिका में एक औसत आदमी के रूप में, तो आपके फलने-फूलने और अच्छी जिंदगी बिताने की उम्मीद अमेरिका में ज्यादा थी लेकिन दुनिया के समतल होने के साथ .... प्राकृतिक प्रतिभा भूगोल पर भारी पड़ने लगी है। बिल गेट्स के इस निष्कर्ष से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दुनिया दिशा जिस तेजी से बदल रही है और जिस तरह से नई हलचलें जन्म ले रही हैं वे इसका प्रमाण हैं लेकिन देखना यह होगा कि यह संभव कैसे हो? आखिर इसके लिए रास्ते कौन-कौन से हैं? विशेषज्ञताओं से सम्पन्न मानव संपदा इसके लिए उपयुक्त रास्ते तलाश सकती है लेकिन यहां विशेषज्ञता का तात्पर्य सीमित ज्ञानता से नहीं बल्कि विशेषज्ञताओं की अनन्यता से पोषित मानव संपदा से है ताकि एक प्रकार की विशेषज्ञता दूसरे प्रकार की विशेषज्ञता का पोषण कर सके।

दूसरे शब्दों में कहें तो यह 'नॉलेज मेरिटोक्रेसी' का युग है जिसमें इस बात का महत्व बेहद कम है कि 'क्या सीखा गया है' बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि 'कैसे सीखा गया है' क्योंकि सीखने की कला यानि कौशल और नवान्मेषी विशेषज्ञता, ही बदलते समय के साथ कामयाब प्रतियोगी बना सकती है। ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए नीतियों व प्रयासों का वर्ष-दर-वर्ष आकलन आवश्यक होता है, इसलिए अब यह देखना आवश्यक है कि वर्ष 2016-17 के बजट में केंद्र सरकार ने इसे लेकर किस तरह का नजरिया पेश किया है और उस नजरिए को कार्यरूप में लाने के लिए किस तरह की यांत्रिकी निर्मित की जानी है?

2016-17 को बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का एजेंडा 'ट्रांसफार्म इंडिया' का है। इसलिए उन्होंने बजट प्रस्ताव में निम्नलिखित 9 विशिष्ट स्तंभों का निर्माण कर परिवर्तनकारी एजेंडे को क्रियान्वित कराने का प्रयास किया है :

1. **कृषि और किसान कल्याण:** किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दो गुना करने पर ध्यान दिया जाएगा।
2. **ग्रामीण क्षेत्र:** ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना पर बल दिया जाएगा
3. **सामाजिक क्षेत्र:** सभी को कल्याण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में शामिल करना।
4. **शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन:** भारत को ज्ञान आधारित और उत्पादनकारी समाज बनाना;
5. **अवसंरचना एवं निवेश:** कार्यदक्षता और जीवन स्तर में सुधार लाना;
6. **वित्तीय क्षेत्र के सुधार:** पारदर्शिता और स्थिरता लाना;
7. **अभिशासन और कारोबार करने में आसानी:** लोगों को अपनी पूर्ण क्षमता साकार करने में समर्थ बनाना)
8. **राजकोषीय अनुशासन:** सरकार वित्त साधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन और जरूरतमंद लोगों को लाभों की सुपुर्दगी; और

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक-सामाजिक, आर्थिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें प्रकाशन केंद्र (लखनऊ), पियर्सन (किंडर्सले डार्लिंग प्रकाशन ब्रिटेन की दक्षिण एशिया के लिए फ्रेंचाइजी) तथा हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय आदि प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई है। एक अन्य पुस्तक ''नई विश्व व्यवस्था में भारत'' प्रकाशनाधीन है। ईमेल: raheessingh@gmail.com

9. कर संबंधी सुधार: नागरिकों में विश्वास करके अनुपालन के बोझ को कम करना।

नजरिया नवाचार का

ध्यान से देखा जाए तो उपरोक्त 9 स्तंभों में से कोई भी ऐसा स्तंभ नहीं है जो इनोवेशन की दिशा में सहकारिता या सहयोग की विषयवस्तु को कुछ हद तक समेटे न हो। वित्त मंत्री के अनुसार इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट नीतिगत उपाय रेखांकित किए जाएंगे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय नागरिकों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बजट 2016-17 में 'खाद्य सुरक्षा' के परंपरागत उपायों से आगे बढ़कर किसानों को 'आय सुरक्षा' देने संबंधी नवोन्मेषी नजरिया प्रस्तुत किया गया और वर्ष

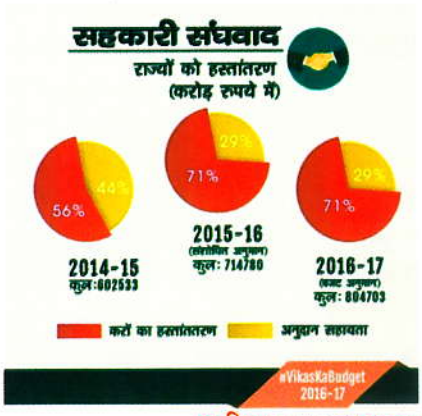

ग्राफिक: www.pib.nic.in

2022 तक किसानों की आमदनी को वर्तमान के मुकाबले दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गई। हालांकि इस पर यह सवाल उठाया गया कि यह कैसे संभव होगा? इसके लिए बजट से दो दिन पूर्व संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (2015-16) पर गौर करना होगा जिसने अर्थव्यवस्था की स्थिति, दशा, चुनौतियों और संभावनाओं के साथ-साथ संभावित प्रयासों की आवश्यकताओं पर भी बल दिया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि विश्व के साथ भारत की अधिकाधिक जुड़ जाने की गंभीर सच्चाई है। स्वाभाविक है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा जिसमें वैश्विक मांग-पूर्ति से लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक, सभी समान अनुपात में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी। यानि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ओर जाने के साथ-साथ नव-प्रयोगवादी व अन्वेषी अथवा नवोन्मेषी भी बनना होगा। सर्वेक्षण में यह बात स्वीकार भी की गई है।

संभावनाओं पर खास नजर

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कारोबार करने में आसानी लाने के लिए जबरदस्त प्रयास करना होगा, जिसके कारण भारत विभिन्न देशों में स्पर्धात्मकता की रैंकिंग में आगे बढ़ा है और स्टार्ट-अप तथा ई-कॉमर्स के क्षेत्रों की अप्रत्याशित गतिशीलता और रोजगार सृजन करने वाली बड़ी कंपनियों के हित में दिखाई दे रही 'लाखों क्रांतियों' के लिए महत्वपूर्ण अनुभव बन गया है लेकिन उसने एक बुनियादी चिंता भी प्रकट की है, वह यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रही है। सर्वेक्षण के अनुसार यह बात निश्चित है कि भारत में अपार संभावनाएं हैं, देश की दीर्घावधिक संभावित संभावित विकास दर अभी भी लगभग 8-10 प्रतिशत है। इस संभावना को साकार करने के लिए भारत को कम से कम तीन मोर्चों पर प्रयास करने की जरूरत होगी। पहला, भारत स्वाभाविक रूप से बाज़ार विरोधी और निष्पक्ष रूप से सरकारी हस्तक्षेप का समर्थक होने की स्थिति से हटकर, अब उद्यमिता के पक्ष में और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर संशयवादी होता जा रहा है (आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार) लेकिन उद्योग के पक्ष में होने का अर्थ यह है कि हम वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धा का समर्थन करें।

कॉरपोरेट सब्सिडियां तथा व्यापक पुरानी छूटें यह रेखांकित करती है कि क्यों कारोबार का समर्थन (न कि बाज़ारों का) वस्तुत: प्रतिस्पर्धा में बाधा बन सकता है। इसी प्रकार सरकारी हस्तक्षेप को लेकर संशयवाद निश्चित रूप से इसे कम किए जाने में परिवर्तित होना चाहिए लेकिन ऐसा इसकी मूल भूमिकाओं का महत्व कम किए बिना और वस्तुत: महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे मजबूत भी करके संभव होगा। अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल सृजित करने की कुंजी चक्रव्यूह से प्रस्थान करने की समस्या का समाधान किया जाए। इस दिशा में कुछ अन्य बजट प्रावधान महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे- स्टार्ट-अप के लिए जो अप्रैल, 2016 से मार्च 2019 तक स्थापित हुई, के लिए 5 वर्षों में से 3 वर्ष के लिए 100 प्रतिशत लाभ कटौती दी जाएगी। ऐसे मामलों में मैट लागू किया जाएगा। भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विकसित और पंजीकृत पेटेंटों से विश्व भर में लाभ कमाकर हुई आय पर 10 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा। एआरसी के न्यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्यासों को आयकर का पूर्ण पास-थ्रू दिया जाएगा। प्रतिभूतिकरण न्यासों को स्रोत पर की कटौती करनी होगी।

समावेशन के साथ नवाचार

हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण यह मानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समस्या से ग्रस्त है और निवेश, कार्यदक्षता, नौकरियों के सृजन और विकास में इसे एक रुकावट के रूप में बर्दाश्त कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था सीमित प्रवेश वाले समाजवाद से हटकर, बिना प्रस्थान वाले बाज़ारवाद में दाखिल हो गई है लेकिन तमाम अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि अभी भारत को सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना होगा ताकि मार्केट पोटैंशियल को बनाए रखा जा सके। जो भी हो सरकार ने बजट में ऐसे संकेत दिए हैं, जिससे समावेशन के साथ-साथ

तालिका 1: वैश्विक नवान्मेष में दुनिया के अगड़े व पिछड़े देश

श्रेणी	देश	स्कोर
वैश्विक नवोन्मेष में दुनिया के पांच सबसे अच्छे देश	फिनलैंड	15.6
	स्वीडन	14.2
	यूनाइटेड किंगडम	13.7
	सिंगापुर	12.3
	नीदरलैंड	12.1
वैश्विक नवोन्मेष में दुनिया के पांच सबसे खराब देश	यूक्रेन	-14.6
	थाईलैंड	-14.8
	भारत	-15.5
	इंडोनेशिया	-17.5
	अर्जेंटीना	-20.1

स्रोत: इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ) रिपोर्ट 2015

तालिका 2: अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन में भारत की वैश्विक स्थिति		
	देश	उदारता स्कोर
अनुसंधान एवं विकास के लिए कर सुविधा देने वाले सबसे उदार देश	भारत	44 प्रतिशत
	पुर्तगाल	41 प्रतिशत
	फ्रांस	38.5 प्रतिशत
	स्पेन	35 प्रतिशत
	डेनमार्क	29 प्रतिशत

स्रोत: इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ) रिपोर्ट 2015

नवोन्मेष संभव हो सके। पहला पक्ष यह है कि बजट में वित्त मंत्री ने डिजिटल साक्षरता पर विशेष फोकस किया है। बजट भाषण में उनका कहना था कि हमें अपनी आबादी से और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमें ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना होगा। उल्लेखनीय है कि 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं है और इन परिवारों में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो डिजिटल दृष्टि से साक्षर हो। हम (वित्त मंत्री) डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दो स्कीमें पहले ही अनुमोदित कर चुके हैं। ये स्कीमें हैं-राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा)। अब ग्रामीण भारत एक नई डिजिटल साक्षरता स्कीम आरंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसमें अगले 3 वर्षों के भीतर लगभग 6 करोड़ और परिवारों को शामिल किया जाएगा।

द्वितीय-बजट के ज़रिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सफल व्यवसायिक उद्यम शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने में मदद करने की बेहतर कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री बजट से पहले ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान कर चुके हैं ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाए नौकरी देने वाले बन सकें। बजट भाषण के ज़रिए यह यह बताया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दे दी है और बजट में इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। यह स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को मदद देगी जिससे इस स्कीम के तहत कम से कम 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे।

अनुसंधान पर विशेष बल

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अनुसंधान नवोन्मेष का प्रेरक है तथा नवोन्मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। इसलिए मैं पेटेंटों के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटो के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत दर से कर लगाया जाएगा। इसके साथ ही 1000 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी आधार के साथ 'उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी' (हेफा) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हेफा न हानि न लाभ के आधार पर कार्य करने वाला संगठन होगा जो बाज़ार से निधियां प्राप्त करेगा तथा इसकी अनुपूर्ति दान और सीएसआर निधियां करेगा। इन निधियों का उपयोग शीर्ष संस्थाओं में अवसंरचना सुधार के वित्त पोषण हेतु किया जाएगा और इसकी व्यवस्था आंतरिक निधियों से की जाएगी।

नवाचार युक्त कौशल

बजट 2016-17 में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों को चौथे स्तंभ के रूप में रखा गया है। इस दिशा सबसे महत्वपूर्ण कदम उच्च शिक्षण संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध होने संबंधी है ताकि उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं की स्थिति तक पहुंचाया जा सके। दस सरकारी और दस निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है ताकि ये संस्थाएं विश्वस्तरीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में उभर सकें। इसके साथ ही स्किल इंडिया मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के ज़रिए देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया और बजट में इन कार्यक्रमों के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि अलग से आवंटित की गई है। उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया ताकि अगले तीन वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्नत बनाया जा सके। बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के ज़रिए 2200 कॉलेजों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा। उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाज़ारों से जोड़ पाएगा।

बाज़ार में भारत की स्थिति

उक्त उपायों से संभावना बनती है कि व्यवसाय, उद्यम और नवोन्मेष कार्यक्रमों को भारत में एक साथ प्रोत्साहन मिले लेकिन अब की कुछ रिपोर्टों को देखते हुए यह लगता है कि नवाचार के लिए कर व्यवस्था और अभिशासन में सुधार बेहद जरूरी है। भारत में नवाचार के क्षेत्र में सबसे बड़ी रुकावट यही क्षेत्र उत्पन्न करते हैं । उल्लेखनीय है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

तालिका 3: अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (प्रति व्यक्ति) वैश्विक स्थिति		
	देश	प्रतिव्यक्ति व्यय की मात्रा (अमेरिकी डॉलर)
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर प्रतिव्यक्ति सर्वाधिक व्यय करने वाले 5 देश	कोरिया	1,995
	इजराइल	1,991
	फिनलैंड	1,893
	स्वीडन	1,884
	जापान	1,844

स्रोत: इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ) रिपोर्ट 2015

यानि भारत नवाचार (इनोवेशन) के मामले में 56 देशों की रैंकिंग में 54वें स्थान पर है। इस संदर्भ में टैक्नोलॉजी पॉलिसी थिंक टैंक इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ) की एक रिपोर्ट, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था में 90 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले देश आते है, बताती है कि भारत की नीतियां वैश्विक नवाचार (ग्लोबल इनोवेशन) के लिए बेहद खराब हैं। यह रिपोर्ट उस समय आई थी जब प्रधानमंत्री देश में 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम की शुरूआत कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड, चीन, भारत, अर्जेंटीना और रूस की नीतियां वैश्विक नवोन्मेष तंत्र (ग्लोबल इनोवेशन सिस्टम) में सबसे खराब है (देखें तालिका 1)। इन देशों में कारोबार को लेकर बहुत सारी बाधाएं हैं, जो बौद्धिक संपदा संरक्षण (इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन) के लिए कमजोर वातावरण पैदा करता है। उल्लेखनीय है कि घरेलू नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाले कर तंत्र (टैक्स सिस्टम), रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) में निवेश और मानव पूंजी ..... आदि, 14 कारकों (फैक्टर्स) को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है।

एक महत्वपूर्ण बात और भी है, वह यह कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) से जुड़े कर प्रोत्साहन (टैक्स इनसेंटिव्स) के लिहाज से खराब देशों की लिस्ट में भारत को शीर्ष पर बताया गया है (देखें तालिका 2)। यही वजह है कि भारत में इनोवेशन का अभाव है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कंपनियों को आरएंडडी पर किसी भी प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोई कंपनी अगर 100 रुपये अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करती है तो उसे कर समंजन (टैक्स क्रेडिट) के रूप में सिर्फ 44 रुपये मिलते हैं। सर्वे में शामिल 56 में से 18 देशों में किसी प्रकार का कर प्रोत्साहन नहीं मिलता है। हालांकि, भारत सरकार प्रति व्यक्ति 31,600 रुपये अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करती है, जो कि सूची में शामिल 18 देशों से अधिक है।

निष्कर्ष

बहरहाल एक प्रजाति (स्पीसीज) के तौर पर मनुष्य अपने उद्विकास के काल से ही कुछ न कुछ नया करता चला आ रहा है यानि आग और पहिए के अविष्कार से लेकर बल्ब और बम बारुद के अविष्कार तक। प्रतिस्पर्धा भी हर युग में रही है लेकिन वर्तमान युग अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगी है इसलिए अब उद्यम और प्रोत्साहन अधिक जरूरत है जिसे दुनिया अग्रणी देशों में देखा भी जा सकता है। इस लिहाज से 2016-17 के वित्त वर्ष के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया बजट उन जरूरतों पर बल देता हुआ दिखाई दे रहा है जो नवाचार के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी व समावेशी प्रक्रिया को प्रोत्साहन दे सकती हैं। फिलहाल अब 'रन ऑफ द मिल' यानी बने बनाए ढर्रे पर चलने का वक्त खत्म हो चुका है इसलिए अब बिना नवोन्मेषी बने स्थाई और श्रेष्ठ सफलताएं हासिल करना बेहद मुश्किल है। और राज्य व सरकार हर स्तर पर रास्ता नहीं बना सकती, इसलिए अब जरूरत है अच्छी नीतियों और प्रोत्साहनों को, जो 2016-17 के बजट में काफी हद तक प्रतिध्वनित हो रहा है। ❑